19/5/25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप.। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय शामिल मिसल नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/364

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व ता...
अहकाम जो इ...
हुक्म की तामिल...
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना (आई ए.एस.)

अपीला सं.– 180 / 2024 GCMS:-2024/364 दायरा दिनाकः– 18.06.2024

1 विक्रमकुमार पुत्र श्री हीरालाल } जाति बिश्नोई साकिन 9 एम.के.(मुकलावा)
2 प्रमोदकुमार पुत्र श्री रामस्वरूप } तह. रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर

– अपीलान्ट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।
2 सरपंच ग्राम पंचायत निरवाना, तहसील सूरतगढ।

– उतरवादीगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – अपीलांटगण
2.. तहसीलदार पैराकार राज

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 19.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि चक 4 एन.आर.डी. की जमाबन्दी सॅवत 2072 ता 75 के खाता संख्या 25 / 23 के पत्थर नम्बर 88 / 321 के किला न 1 ता 25 / 1 का 6.200 हैक रकबा में विक्रेता आशासिह पुत्र श्री चाकरसिह जाति रायसिख साकिन निरवाना के नाम 0.464 हैक रकबा शयुक्त खाता मे खातेदारी था, विक्रेता आशासिह व उसके भाई हरनामसिह व बहन प्रीतो बाई व माता बाईयाबाई ने श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर से अपने अपने हिस्सा के रकबा को रहन रख बैक ऋण प्राप्त किया व उक्त सभी हिस्से दारो ने ऋण चुका दिया जाने के बाद बैक ऋण चुकती प्रमाण पत्र विक्रेता आशासिह के भाई व बहनो हरनामसिह व बहन प्रीतो बाई व बाईयाबाई के नाम से जारी हो जाने पर इस रहन मुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल न 214 स्वीकृति दिनांक 08.07.2016 को स्वीकृत हो गया परन्तु विक्रेता आशासिह के नाम से बैक रहन मुक्ति का इन्तकाल सहबन से ना तो दर्ज हुआ व ना ही स्वीकृत हुआ। विक्रेता आशासिह की माता व बहिनो ने दस्तबरदारी विक्रेता आशासिह व उसके भाईयो के पक्ष मे पंजीकृत दस्तबरदारी कर दी जिसका इन्तकाल न 216 दिनांक 11.07.2016 को तस्दीक हो गया व इस इन्तकाल के पश्चात विक्रेता आशासिह के नाम 1.497 हैक रकबा दर्ज रिकार्ड खातेदारी हो गया। अपीलाटगण ने विक्रेता आशासिह के नाम का उक्त 1.497 हैक रकबा 11.07.2016 को रजिस्टर्ड बैयनामा से व विक्रेता आशासिह के भाई करनैलसिह से 0.506 हैक व हरनामसिह से 0.253 हैक रकबा अलग रजिस्टर्ड बैयनामा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज न 2......पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया व इन सभी बैयनामो का इन्तकाल न 220 दिनांक 20.07.2016 को अपीलाटगण के नाम स्वीकृत हो गया । इस रकबा मे आसासिह के नाम का 0.484 हैक रकबा जो भूमि विकास बैक के नाम रहन था, रहन मुक्त का इन्तकाल आज तक ना दर्ज हूआ व ना ही स्वीकृत हूआ है । चक 4 एन.डी.आर. का इन्तकाल न 220 दिनांक 20.07.2016 जिसमे विक्रेता आशासिह के नाम के रकबा जो भूमि विकाश बैक के रहन था, रहन मुक्ती का इन्तकाल दर्ज व स्वीकृत हूऐ बगैर ही अपीलाटगण के नाम आशासिह के नाम के तमाम रकबा का इन्तकाल अपीलाटगण के नाम. दर्ज हूआ है, जबकि जैर अपील इन्तकाल न 220 स्वीकृति दिनाक 20.07.2016 आशासिह के नाम के रकबा मे से 0.464 हैक रकबा श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर के नाम रहन है, इसलिये विक्रेता आशासिह के नाम के रकबा तक का इन्तकाल खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक नयाय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने से लायक निरस्ती के है । विक्रेता आशासिह के नामं से कुल 1.497 हैक रकबा है इस रकबा मे से 0.464 हैक रकबा जो श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर के नाम रहन है उसके अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर रहन मुक्ति का इन्तकाल कानुनी रूप से जरूरी है, राजस्व रिकार्ड मे रहन फक हो से पहले रकबा खरीददार के नाम दर्ज नही हो सकता इसलिये 0.464 हैक रकबा तक का ईन्तकाल पहले बैक रहन मुक्ति योग्य है व उसके पश्चात ही अपीलाटगण के नाम बैयनाम के आधार पर इन्तकाल दर्ज हो सकता है तथा विक्रेता आशासिह ने अपने व अपने भाई –बहिनो के नाम से श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर से रहन मुक्ति प्रमाण पत्र क्रमाक 133 दिनांक 02.03.2024 को जारी करवा लिया है, इस प्रमाण पत्र मे विक्रेता आशासिह के नाम का 0.464 हैक रकबा को छोड़कर शेष सभी हिस्से दारो के नाम का रकबा तो पहले ही रहन मुक्त हो चुका है केवल विक्रेता आशासिह का 0464 हैक रकबा ही रहन मुक्ति होना शेष है इसलिये भी रहन मुक्ति का इन्तकाल दर्ज होने योग्य हैं व विक्रेता आशासिह के नाम बिना रहन मुक्त किये अपीलाट के नाम जैर अपील रकबा का इन्तकाल दर्ज हो गया है जो काबिल निरस्ती के हैं तथा राजस्व रिकार्ड मे बैक ऋण का मुक्ति का ईन्तकाल हो जाने से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो जावेगा इसलिये भी अपील स्वीकार योग्य है तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट का ही मोका पर कब्जा काश्त है तथा प्रकरण रकबा मे विक्रेता आशासिह व अन्य उतरवादीगण का कोई हित निहित नही है तथा बैक ऋण जमा हो जाने के पश्चात इस रकबा मे बैक का भी कोई हित निहित नही है केवल रिकार्ड को दुरूस्त कराने के लिये रहन मुक्ति का इन्तकाल आवश्यक है तथा जैर अपील रकबा के बैक रहन मुक्ति ना होने की अपीलान्ट को कोई भी सुचना या जानकारी नही थी अपीलान्टगण की पीठ के पीछे यह ईन्तकाल तस्दीक किया है इसलिये अपील पेश करने मे .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज न 3.....पर

हूई देरी माफ की जाकर अपील स्वीकार की जाकर चक 4 एन.आर.डी का इन्तकाल न. 220 स्वीकृति दिनांक 20.07.2016 जिसमे आशासिह पुत्र श्री चाकरसिह जाति रायसिख साकिन निरवाना साकिन निरवाना के नाम का 0.464 हैक रकबा जो श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर के नाम रहन होते हूऐ अपीलाटगण के नाम तस्दीक हो गया है इसलिये विक्रेता आशसिह के नाम के रकबा तक का ईतकाल निरस्त कर पहले रहन मुक्ति का इन्तकाल दर्ज व स्वीकृत किया जाने के पश्चात अपीलाट के नाम उनके बैयनामा दिनांक 11.07.2016 का ईन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ को दिया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर को जरिये सम्मन तलब किया गया। उतरवादीगण ने प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि वर्तमान मे रिकार्ड दुरूस्त है इसलिये इन्तकाल निरस्ती की आवश्यकता ही नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो के अनुसार जैर प्रकरण रकबा बैक रहन मुक्त हूऐ बिना ही अपीलाट के नाम इन्तकाल दर्ज हूआ है इसलिये रिकार्ड दुरूस्त किया जाने के लिये इन्तकाल निरस्त कर बैक ऋण मुक्ति का इन्तकाल स्वीकृत कर अपीलाटगण के नाम पुनः इंन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर चक 4 एन.आर.डी का इन्तकाल न. 220 स्वीकृति दिनांक 20.07.2016 जिसमे आशासिह पुत्र श्री चाकरसिह जाति रायसिख साकिन निरवाना साकिन निरवाना के नाम का 0.464 हैक रकबा जो श्रीगंगानगर सहकारी भूमि विकास बैक लि0 श्रीगंगानगर के नाम रहन होते हूऐ अपीलाटगण के नाम तस्दीक हो गया है इसलिये विक्रेता आशसिह के नाम के 0.464 रकबा तक का ईतकाल निरस्त कर पहले बैक रहन मुक्ति का इन्तकाल दर्ज व स्वीकृत किया जाने के पश्चात अपीलाट के नाम उनके बैयनामा दिनांक 11.07.2016 के आधार पर का ईन्तकाल स्वीकृत करने का आदेश श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है।

निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल तहसीलदार सूरतगढ को अलग से पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.05.21 17:27:40 IST
Reason: SelfAttested